



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 2021

फाल्गुन 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग-1

संख्या 651ई-1/तेरह-2021-499(6)-2012

लखनऊ, 16 मार्च, 2021

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

सा०प०नि०-17

आबकारी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 601ई-1/तेरह-2021-499(6)-2012, दिनांक 09-03-2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक सेवा नियमावली, 2021 के अंग्रेजी वर्जन के PART-III-RECRUITMENT भर्ती का स्रोत के प्रस्तर-5 के उप प्रस्तर-3 में निम्नवत् त्रुटि दृष्टिगत हुई है।

2-अधिसूचना संख्या 601ई-1/तेरह-2021-499(6)-2012, दिनांक 09-03-2021 में हुई त्रुटि :-

अशुद्ध प्रकाशन	संशोधन (शुद्धि-पत्र)
"Chief Technical Officer-By promotion through the departmental selection committee from amongst substantively appointed Senior Technical Officers who have completed Five Years service as such/or who have completed total fifteen Years of service including technical officer as well as senior technical officer on the first day of the Year of recruitment."	"Chief Technical Officer-By promotion through the departmental selection committee from amongst substantively appointed Senior Technical Officers who have completed Five Years service as such on the first day of the Year of recruitment."

3-अतः उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 601ई-1/तेरह-2021-499(6)-2012, दिनांक 09-03-2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,  
संजय आर० भूसरेड्डी,  
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 816 राजपत्र-2021-(1719)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/ट्रेसिंग/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० आबकारी-2021-(1720)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/ट्रेसिंग/आफसेट)।